

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में-

थाना धनघटा पुलिस द्वारा गिरफ्तार वारण्टी का नाम पता 01. जंगबहादुर पुत्र गनेश शर्मा निवासी मुठहीखुर्द थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर, 02. सुभावती पत्नी लालचन्द्र बेलदार निवासी सोनाड़ी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री रामदरश यादव, का0 संतोष यादव, म०पीआरडी अंजनी।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 09 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3303 द्वारा सडक दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल - थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत चनवापार चौराहा से कालर ने अज्ञात मोटर साइकिल द्वारा पीछे से ठोकर लगने से घायल 01 व्यक्ति (1. रंगीलाल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद ग्राम बनोहिया उतरावल थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ0 रामजी शाह, हो0चा0 शिवदास।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 102 वाहनों से 94,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 02.05.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 102 वाहनों से 94,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।